न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 52/2015

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये
श्री कंवरराम, प्रवर्तन अधिकारी
बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री नन्दलाल पुत्र श्री कान्नजी जाति छंगा निवासी रतनालताल तह. अंजार कच्छ राज्य गुजरात (मालिक टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 व टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166)
2. श्री बाबूराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी आलमसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर (ट्रक ड्राईवर)
3. श्री उगराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी खेराज का तला, नेतराड़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर (ट्रक ड्राईवर)
4. श्री पुखराज पुत्र श्री अचलदास जाति माहेश्वरी निवासी बाड़मेर जिला बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक : 05.02.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 12.09.2015 को पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि पुलिस चैक पोस्ट गांधव पर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जाते टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 को रूकवाकर चैक किया तो इनमे भारतीय खाद्य निगम मार्क अंकित राशन के गेंहू के कट्टे भरे होने पाये गये है। इन दोनो टर्बो ट्रकों मे भारी मात्रा मे भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगे हुए राशन का गेंहू परिवहन करने बाबत वाहन चालाकों को वैध बिल, बिल्टी, लाईसेंस व परमिट के बारे मे पूछने पर नही होना बताया। इस पर उक्त टर्बो ट्रक चालकों द्वारा संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से परिवहन करना प्रतीत होने से दोनो ट्रकों को पुलिस थाना गुड़ामालानी मे खड़ा किया गया है। पुलिस थाना गुड़ामालानी से प्राप्त सूचना पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा श्री प्रदीप मालवीय, नायब तहसीलदार गुड़ामालानी व श्री खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की गई। थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी की तहरीर पर थाना गुड़ामालानी परिसर मे खड़े दोनो टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 का निरीक्षण करने पर उसमे एफसीआई मार्का के जूट बारदाना के कट्टों मे गेंहू भरा हुआ पाया गया। टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 की जांच करने पर भारतीय खाद्य निगम मार्का के प्रत्येक कट्टा वजनी अनुमानित 50 किलोग्राम कुल 440 गेंहू के कट्टे होने पाये तथा दूसरे टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 मे एफसीआई मार्का के प्रत्येक कट्टा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अनुमानित 50 किलोग्राम वजनी के कुल 440 कट्टे होने पाये। मौके पर दोनो टर्बो ट्रक चालक श्री बाबूराम पुत्र श्री रामाराम जाति जाट निवासी आलमसर तहसील चौहटन व श्री उगंराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी खेराज का तला, नेतराड़ तहसील चौहटन से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त एफसीआई मार्का के कट्टे बाड़मेर स्थित श्री पुखराज पुत्र श्री अचलदास जाति माहेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु हाल बाड़मेर स्थित गोदाम से भरकर गांधीधाम गुजरात ले जाये जा रहे है। मौके पर उक्त टर्बो ट्रकों मे एफसीआई मार्का के कट्टों मे भरे गेंहू के वैध बिल/बिल्टी, परमिट जांच हेत प्रस्तुत नही किये जाने व संतोषजनक जवाब नही देने के कारण तथा प्रथम दृष्ट्या दोनो ट्रकों मे भरे गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले होने के कारण दोनो ट्रकों को नजदीकी बजरंग कम्प्युटराईज्ड वेट ब्रिज धोरीमन्ना से तोल करवाने पर टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 ट्रक सहित गेंहू बारदाना मय कुल वनज 326.50 क्विंटल होना पाया जिसमें शुद्ध गेंहू जूट बारदाना सहित 222.30 क्विंटल हुआ तथा टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 ट्रक सहित गेंहू बारदाना मय कुल वनज 329.90 क्विंटल होना पाया जिसमें शुद्ध गेंहू जूट बारदाना सहित 222.30 क्विंटल हुआ। उक्त दोनो टर्बो ट्रकों मे एफसीआई मार्का के बारदाना मे भरे हुए गेंहू जूटबारदाना मे भरे हुए गेंहू के कट्टे होने, वाहन चालकों द्वारा उक्त गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे वैध बिल/बिल्टी व परमिट जांच वास्ते प्रस्तुत नही करने के कारण राज हित मे दोनो टर्बो ट्रकों मे भरे हुए गेंहू के कुल 400+400=800 कट्टे प्रत्येक कट्टा अनुमानित वनज 50 किलोग्राम, गेंहू जूटबारदाना मय 446.60 किलोग्राम व दोनो ट्रकों को जब्त सरकार किया गया। दोनो ट्रकों मे बरामद गेंहू के 880 कट्टा मे शुद्ध गेंहू जूटबारदाना सहित 446.60 क्विंटल नजदीकी उचित मूल्य दुकानदार श्री किस्तुराराम पुत्र श्री अम्मेदाराम जाति जाट निवासी

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सांजटा हाल व्यवस्थापक, कॉ–ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड बाड़मेर शाखा गुड़ामालानी को सुपुर्दगीनामा लिखकर सुपुर्द किया तथा उक्त एफसीआई मार्का के गेंहू से भरे ट्रकों को ले जाने वाले दोनो टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी को अभिरक्षा मे सुपुर्द किये गये। मौके पर उक्त दोनो टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 के चालकों द्वारा आर.सी. प्रस्तुत की गई। उक्त टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 वाहन चालक श्री बाबूराम एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 के वाहन चालक श्री उगराराम द्वारा एफसीआई मार्का के जूटबारदाना के कट्टों मे गेंहू का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित परिवारों को वितरण किये जाने वाला गेंहू हो सकता है, को बिना वैध दस्तावेज के अवैध परिवहन कर कालाबाजारी के उद्देश्य से गांधीधाम गुजरात मे बेचान मे सहयोग करने तथा मौके पर उक्त टर्बो चालकों द्वारा पूछताछ मे उक्त गेंहू को बाड़मेर स्थित श्री पुखराज महेश्वरी के गोदाम से भरकर गांधीधाम गुजरात बिना वैध दस्तावेज के एफसीआई मार्का के गेंहू जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित परिवारों को वितरण किये जाने वाला हो सकता है, की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए वास्ते सबूत जब्त सरकार किया गया। यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है, अतः सीजशुदा 222.30 + 222.30 = 446.60 क्विंटल गेंहू मय जूटबारदाना व दोनो ट्रकों को राजसात करने का आदेश फरमावें। इसके साथ ही बरामदशुदा गेंहू लम्बे समय तक भण्डारण से खराब होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए(।।) के तहत अन्तरीम निस्तारण के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा बरामद गेंहू लम्बे समय तक भण्डारण

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला कलेक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से खराब होने की संभावना को देखते हुए 446 क्विंटल 60 किलोग्राम गेंहू मय जूट बारदाना का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त राशि इस न्यायालय के आदेश के अध्यधीन रखे जाने हेतु जिला रसद अधिकारी बाडमेर को आदेशित किया गया। प्रकरण मे बरामद वाहनों को उनके मालिक अप्रार्थी सं. 1 की ओर से खास मुख्तयार श्री हेमाराम पुत्र श्री दूदाराम जाति जाट निवासी दीनगढ़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर के प्रार्थना पत्र पर दस लाख रूपये की जमानत एवं इसी कदर निजी मुचलके पेश करने पर सुपुर्दगी पर दिये गये।

3. अप्रार्थी सं. 04 पुखराज की ओर से भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे बरामद गेंहू को सुपुर्दगी पर दिये जाने एवं गेंहू की सेम्पलिंग सक्षम अधिकारी से करवाने का निवेदन किया गया जो आदेश दिनांक 24.10.2016 के द्वारा इस निष्कर्ष के साथ अस्वीकार कर किया गया कि मौके पर वक्त बरामदगी उक्त ट्रकों के दोनो चालकों से भारतीय खाद्य निगम मार्का के गेंहू के कट्टों के वैध बिल बिल्टी/परमिट मांगी गई मगर उस समय अप्रार्थीगण के पास बिल बिल्टी/परमिट नही था, जिससे प्रथदृष्ट्या बरामद गेंहू कालाबाजारी हेतु परिवहन किया जाना मानते हुए अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इसके बावजूद भी समुचित स्थिति सुनवाई उपरांत ही निश्चित की जा सकती थी तथा बरामद गेंहू का अन्तरीम निस्तारण हेतु आदेश पारित किया जा चुका था।

4. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर अपने गोदामों मे रखे गये गेंहू बाबत निलामी हेतु निविदाऐं जारी की जाती रही है तथा इसी क्रम मे एफ सी आई हनुमानगढ़ द्वारा की गई निलामी मे पोकरण स्थित फर्म मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज द्वारा गेंहू क्रय किये गये थे। मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज के नाम से एफ सी आई द्वारा बिल जारी किये एवं बिलों के साथ

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तलपटी भी जारी की गई। उक्त क्रयशुदा माल को ट्रकों द्वारा पोकरण भिजवाया गया जिनके गेट पास भी एफ सी आई द्वारा जारी किये गये है। लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज द्वारा क्रय किये गये गेहूं मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर को एफसीआई के गेंहू की बिक्री जरिये बिलों के की गई थी। मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर द्वारा गेंहू की खरीद विक्रय एवं गेंहू को पिसकर आटा को विक्रय करने का कार्य करती है। इस हेतु माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर ने विभिन्न समय मे बिलों के माध्यम से गेहूं को क्रय किया था। उक्त एफ सी आई का रिकार्ड पब्लिक दस्तावेज है जिसमे किसी भी प्रकार की कूटरचना की कोई गुंजाईश नही है। दिनांक 11.09.2015 को अप्रार्थी सं. 4 द्वारा उक्त ट्रक सं. जीजे 12 एयु 8666 मे 50 किलोग्राम वजन के कुल 440 कट्टे एवं ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 मे 50 किलोग्राम के कुल 440 कट्टे भरकर उन्हे लकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर के माध्यम से मैसर्स एलाना सन्स प्राईवेट लिमिटेड कांडला पोर्ट को विक्रय कर भिजवाये जा रहे थे, जिसे शक के आधार पर गुड़ामालानी पुलिस द्वारा सीज किया गया है।

5. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि उक्त दोनो ही ट्रकों मे भरा गया गेंहू उचित मूल्य का होने का प्रार्थी का अभिकथन नितान्त ही गलत है, क्योंकि दोनो ट्रकों मे भरे गये गेंहू के कट्टों की सिलाई हाथ से की हुई थी जबकि उचित मूल्य के दुकानों के गेंहू के कट्टों की सिलाई मशीन से की हुई होती है। इस संबंध मे मौके पर चालकों द्वारा भी अवगत कराया गया, परन्तु विभागीय अधिकारियों द्वारा इस पर कोई ध्यान नही दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा एफसीआई हनुमानगढ़ द्वारा नीलाम किये गये गेंहू के बिलों एवं मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज पोकरण द्वारा जारी बिलों की प्रतियां जांच अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी थी तथा फोटो प्रतियां जवाब के संलग्न प्रस्तुत की गई है। यह भी कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बाडमेर द्वारा भी अपनी जांच मे यह पाया है कि बरामद किया गया गेंहू सार्वजनिक

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर

जिला कलेक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाला गेंहू नही है। उक्त रिपोर्ट मे इस बात का भी खुलासा किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुली निलामी के द्वारा भी गेंहू का विक्रय किया जाता है। जांच रिपोर्ट मे जिला रसद अधिकारी ने माना है कि सीआर नम्बर 175/15 पुलिस थाना गुड़ामालानी के प्रकरण मे आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई प्रकरण नही बनता है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा की गई जांच से प्रवर्तन अधिकारी स्वंय विबंधित है तथा परिवादी प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई प्रकरण नही बनता है। अतः वादग्रस्त गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित परिवारों को वितरण करने वाला गेंहू नही है तथा पुलिस ने भी अनुसंधान मे ऐसे किसी भी डीलर को उक्त प्रकरण मे शामिल नही किया है, ऐसी स्थिति मे धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

6. हमने दोनो पक्षों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे यह पाया है कि दिनांक 12.09.2015 को पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि पुलिस चैक पोस्ट गांधव पर बाड़मेर से गुजरात की तरफ जाते टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 को रूकवाकर चैक किया तो इनमे भारतीय खाद्य निगम मार्क अंकित राशन के गेंहू के कट्टे भरे होने पाये गये है। इन दोनो टर्बो ट्रकों मे भारी मात्रा मे भारतीय खाद्य निगम का मार्का लगे हुए राशन का गेंहू परिवहन करने बाबत वाहन चालाकों को वैध बिल, बिल्टी, लाईसेंस व परमिट के बारे मे पूछने पर नही होना बताया। इस पर उक्त टर्बो ट्रक चालकों द्वारा संज्ञेय अपराध करने के उद्देश्य से परिवहन करना प्रतीत होने से दोनो ट्रकों को पुलिस थाना गुड़ामालानी मे खड़ा किया गया है। पुलिस थाना गुड़ामालानी से प्राप्त सूचना पर जिला

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा श्री प्रदीप मालवीय, नायब तहसीलदार गुड़ामालानी व श्री खेमाराम, प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंच कर जांच की गई। थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी की तहरीर पर थाना गुड़ामालानी परिसर मे खड़े दोनो टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 एवं टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 का निरीक्षण करने पर उसमे एफसीआई मार्का के जूट बारदाना के कट्टों मे गेंहू भरा हुआ पाया गया। टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 की जांच करने पर भारतीय खाद्य निगम मार्का के प्रत्येक कट्टा वजनी अनुमानित 50 किलोग्राम कुल 440 गेंहू के कट्टे होने पाये तथा दूसरे टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 मे एफसीआई मार्का के प्रत्येक कट्टा अनुमानित 50 किलोग्राम वजनी के कुल 440 कट्टे होने पाये। मौके पर दोनो टर्बो ट्रक चालक श्री बाबूराम पुत्र श्री रामाराम जाति जाट निवासी आलमसर तहसील चौहटन व श्री उगराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी खेराज का तला, नेतराड़ तहसील चौहटन से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त एफसीआई मार्का के कट्टे बाड़मेर स्थित श्री पुखराज पुत्र श्री अचलदास जाति माहेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु हाल बाड़मेर स्थित गोदाम से भरकर गांधीधाम गुजरात ले जाये जा रहे है। मौके पर उक्त टर्बो ट्रकों मे एफसीआई मार्का के कट्टों मे भरे गेंहू के वैध बिल/बिल्टी, परमिट जांच हेत प्रस्तुत नही किये जाने व संतोषजनक जवाब नही देने के कारण तथा प्रथम दृष्ट्या दोनो ट्रकों मे भरे गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण किये जाने वाले होने के कारण दोनो ट्रकों को नजदीकी बजरंग कम्प्युटराईज्ड वेट ब्रिज धोरीमन्ना से तोल करवाने पर टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एयु 8666 ट्रक सहित गेंहू बारदाना मय कुल वनज 326.50 क्विंटल होना पाया जिसमें शुद्ध गेंहू जूट बारदाना सहित 222.30 क्विंटल हुआ तथा टर्बो ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 ट्रक सहित गेंहू बारदाना मय कुल वनज 329.90 क्विंटल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

होना पाया जिसमें शुद्ध गेंहू जूट बारदाना सहित 222.30 क्विंटल हुआ। उक्त दोनो टर्बो ट्रकों मे एफसीआई मार्का के बारदाना मे भरे हुए गेंहू जूटबारदाना मे भरे हुए गेंहू के कट्टे होने, वाहन चालकों द्वारा उक्त गेंहू के कट्टों के सम्बन्ध मे वैध बिल/बिल्टी व परमिट जांच वास्ते प्रस्तुत नही करने के कारण राज हित मे दोनो टर्बो ट्रकों मे भरे हुए गेंहू के कुल 400+400=800 कट्टे प्रत्येक कट्टा अनुमानित वनज 50 किलोग्राम, गेंहू जूटबारदाना मय 446.60 किलोग्राम व दोनो ट्रकों को जब्त सरकार किया गया।

7. अप्रार्थी के अधिवक्ता का अभिकथन है कि पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा बरामद किया गया गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाला गेंहू नही है बल्कि एफसीआई हनुमानगढ़ द्वारा खुली निलामी के तहत मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज पोकरण को विक्रय किया गया गेंहू था, जिसे मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर द्वारा क्रय किया गया एवं मैसर्स माजीसा इण्डस्ट्रीज बाड़मेर द्वारा इसे आगे मैसर्स ऐलाना सन्स प्राईवेट लिमिटेड कांडला को विक्रय किये जाने से उक्त दोनो ट्रकों मे लकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर के जरिये भिजवाया जा रहा था। इस प्रकार अधिवक्ता अप्रार्थी के अपने ही अभिकथन से यह संदिग्धता प्रकट हो रही है कि एफ सी आई का मार्का वाला गेंहू जरिये खुली निलामी के द्वारा आगे से आगे विक्रय किया गया है तो फिर कट्टों की सिलाई हाथ से की गई होने का क्या कारण रहा है। इसके बावजूद भी यदि गेंहू को किसी प्रकार की प्रोसेसिंग की गई है तो फिर मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज से आगे मैसर्स एलाना सन्स प्राईवेट लिमिटेड को विक्रय हेतु भिजवाये जाने पर परिवहन हेतु वाहन के चालकों को बिल/बिल्टी क्यों उपलब्ध नही करवाई गई ? इस प्रकार खुले बाजार मे विधिवत रूप से गेंहू क्रय किया गया है तो फिर परिवहन के समय दस्तावेज साथ मे नही रखने का अप्रार्थीगण की ओर से कोई

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संतुष्टिपरक जवाब/तथ्य प्रकट नही किया गया है। इसके अलावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना गुड़ामालानी मे दर्ज आपराधिक प्रकरण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम मे अनुसंधान पश्चात अंतिम परिणाम एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से सम्बन्धित कोई दस्तावेज भी अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। जहां तक जिला रसद अधिकारी बाड़मेर की जांच रिपोर्ट का प्रश्न है तो वह दौराने अनुसंधान अंतरीम जांच रिपोर्ट पुलिस थाना गुड़ामालानी को प्रस्तुत की गई थी तथा केवल इस रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना विधि सम्मत नही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का प्रमाण भार अप्रार्थीगण पर ही है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, की धारा 3 के अन्तर्गत बने किसी भी नियम/अधिनियम की उनके द्वारा अवहेलना नही की है। अप्रार्थीगण साबित रूप से इस तथ्य को प्रमाणित करने मे सफल नही हुए है कि बरामद शुदा गेंहू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण किये जाने वाला नही है। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर उक्त जब्तशुदा गेंहू कालाबाजारी के उद्देश्य से, अवैध रूप से बिना बिल/बिल्टी के परिवहन किया जा रहा था, जिसे पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा सीज किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार जब तक उक्त प्रकरण मे धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से अप्रार्थीगण को दोषमुक्त नही किया जाता है, अप्रार्थीगण उक्त बरामदशुदा गेंहू की कालाबाजारी एवं अवैध परिवहन करने के लिये संयुक्त रूप से जिम्मेवार है। लिहाजा अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व के टर्बो ट्रक सं. जीजे 12 एयु 8666 एवं जीजे 12 एजेड 8166 जो उनके चालक अप्रार्थी सं. 2 श्री बाबूराम पुत्र श्री रामाराम जाति जाट निवासी आलमसर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर व प्रार्थी सं. 3 चालक श्री उगराराम पुत्र श्री जेठाराम जाति जाट निवासी

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खेराज का तला नेतराड़ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा अप्रार्थी सं. 4 विक्रेता श्री पुखराज पुत्र अचलदास जाति माहेश्वरी निवासी बाड़मेर जिला बाड़मेर के निर्देशन मे एवं अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से परिवहन करना अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के उल्लंघनकारी होने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 6 (ए) के अन्तर्गत अधिग्रहित खाद्यान्न गेंहू एवं इसके परिवहन मे प्रयुक्त दोनो वाहन को राजसात करना उचित है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप हस्तगत प्रकरण मे बरामद खाद्यान्न गेंहू के कुल 400+400=800 कट्टे प्रत्येक कट्टा अनुमानित वनज 50 किलोग्राम, गेंहू मय जूटबारदाना वजन 446.60 किलोग्राम व अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व के टर्बो ट्रक सं. जीजे 12 एयु 8666 एवं जीजे 12 एजेड 8166 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे पुलिस थाना गुड़ामालानी द्वारा जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त टर्बो ट्रक सं. जीजे 12 एयु 8666 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य दस लाख एवं ट्रक संख्या जीजे 12 एजेड 8166 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य दस लाख का जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी सं. 1 श्री नन्दलाल पुत्र कानजी जाति छंगा निवासी रतनाल तहसील अंजार कच्छ राज्य गुजरात पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात की गई उक्त गेंहू की राशि के अतिरिक्त है, जो वाहन मालिक द्वारा उक्त जुर्माना राशि अदा कर दें तो उक्त राजसात किये गये दोनो वाहन उन्हे नियमानुसार सुपर्द कर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दिये जावें। यदि वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त दोनो वाहन टर्बो ट्रक राज्य पक्ष मे निस्तारण करवावें। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.09.15 की पालना मे जब्त किये गये गेंहू के अंतरीम निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त अमानत राशि अब नियमानुसार राज्य कोष मे नियत मद मे जमा कराई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner